झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची

पत्रांक :–वि0प्रा0योजना–53/11 /रांची, दिनांक–

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
बी0आई0टी0 सिन्दरी।

विषय :– **वर्तमान वितीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट शीर्ष अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्थापना एवं अन्य प्रयोजन हेतु कुल रू0 5,10,00,000/– (रू0 पांच करोड़ दस लाख) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित विभाग के पत्रांक–338/बजट दिनांक–28.03.2025 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–04/योजना दिनांक 06.05.2025 के आलोक में वर्तमान वितीय वर्ष 2025–26 में संबंधित शीर्ष में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु कुल रू0 5,10,00,000/– (रू0 पांच करोड़ दस लाख) मात्र की आवंटन की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान किया जाता है :–

क्र0	इकाई का नाम	बी0आई0टी0 सिन्दरी	कुल
1	वेतन (विपत्र कोड़–43S220300112AN000101)	1,10,00,000.00	1,10,00,000.00
2	संविदा भता (विपत्र कोड़–43S220300112AN000108)	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
3	मानदेय (विपत्र कोड़–43S220300112AN000109)	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
4	व्यावसायिक सेवाएँ (विपत्र कोड़–43S220300112AN000329)	2,00,00,000.00	2,00,00,000.00
	कुल	**5,10,00,000.00**	**5,10,00,000.00**
कुल (रू0 5,10,00,000/– (रू0 पांच करोड़ दस लाख) मात्र			

2. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–112–इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान–उप शीर्ष–AN–डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोतर पाठ्यक्रम/तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षो में वितीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि रू0 84,00,00,000/– (रू0 चौरासी करोड़ अस्सी लाख) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
3. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाब देही होगी।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगें कि इस कार्य के लिये अन्य स्त्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
5. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड़ 2101 है।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
7. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी होगें।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आंवटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 02 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेगें।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, धनबाद से की जायेगी।
11. स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित विभाग (अंकेक्षण) को होगा।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
13. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
14. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0, सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चितक करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/–

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :–वि0प्रा0योजना–53/11 /रांची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :–वि0प्रा0योजना–53/11/04/बजट /रांची, दिनांक– 15.05.2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वितीय सलाहकार/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/V/25

सरकार के अपर सचिव।